

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 11.06.2022

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-24 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफतार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

#### 01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ओमप्रकाश पुत्र हरगोविन्द निरो नौडिहवा मौजा नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—216 / 22, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. गुरुप्रसाद पुत्र रंगे निरो ग्राम खिरिया बनपुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—154 / 22, 02. रामदीन पुत्र सुखलाल निरो ग्राम खिरिया बनपुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—155 / 22, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अनिल कुमार पुत्र शिवप्रसाद निरो जत्थापुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—111 / 22, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 04. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. जानकी देवी पत्नी समयदीन निवासिनी ग्राम महुआखाली अम्बरपुर थाना कोरो मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—196 / 22, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 05. थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजकुमारी पत्नी मेवालाल निरो दलपतपुर खटिकनपुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 500 ग्राम यूरिया व 150 ग्राम नौसादर बरामद कर मु0अ0सं0—159 / 22, धारा 60 आबकारी अधिरो व 272 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल गोण्डा**  
**दिनांक 11.06.2022**

**दहेज प्रताडना व धर्मपरिवर्तन करने का दबाव बनाने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खोड़ारे पुलिस ने दहेज प्रताडना व धर्मपरिवर्तन करने का दबाव बनाने के वांछित अभियुक्त कमरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना खोड़ारे क्षेत्र की रहने वाली एक हिन्दू लड़की के साथ प्रेम विवाह किया था। शादी के कुछ साल बीतने पर उक्त अभियुक्त व उसके परिजन लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित किया करते थे तथा मुस्लिम धर्म स्वीकार करने का दबाव बना रहे थे। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना खोड़ारे में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. कमरुद्दीन पुत्र बाबुउल्लाह निर्दिष्ट बस्तीखास थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0—81 / 22, धारा 498ए,323,506 भादवि, 3 / 5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 2021 व 75 जे0जे0 ऐक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

उ0नि0 अरुण कुमार राय मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 11.06.2022**

**01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त राजा कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना करनैलगंज में एन0डी0पी0एस0 एकट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. राजा कुमार पुत्र दिलीप सिंह निरो पंचमौली चीरकुंडा धनबाद झारखण्ड।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0—221 / 22, धारा 8 / 20 एन0डी0पी0एस0 एकट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा।

**गिरफ्तार कर्ता—**

01. उ0नि0 अजय कुमार सिंह मय टीम।

**प्रेसनोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 11.06.2022**

**दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं/महिलाओं पर घटित अपराधों के वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त विकास चौबे को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना वजीरगंज क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. विकास चौबे पुत्र दयाशंकर चौबे निः0 ग्राम जनुवार पुर परसिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोगः—**

01. मु030सं0-153/22, धारा 323,506,376 भादवि व 3(2)5 एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता:—**

उ0निः0 आशीष वर्मा मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 11.06.2022**

**मोटरसाईकिल चोर गिरफ्तार, चोरी गयी मोटरसाईकिल बरामद-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में वाहन चोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस ने चोरी की मोटरसाईकिल के साथ अभियुक्त श्यामू उर्फ कामू को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 10.06.2022 को बहद ग्राम बनगाई से वादी मनोज कुमार वर्मा पुत्र भगवानदीन वर्मा निरो देवतहा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा की मोटरसाईकिल चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना कौड़िया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. श्यामू उर्फ कामू पुत्र मिश्री लाल वर्मा निरो छितौनी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग:-**

01. मु030सं0-110/22, धारा 379,411 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 01 अदद मोटरसाईकिल यू०पी० 43 डब्ल्यू 6264।

**गिरफ्तारकर्ता टीम:-**

उ०नि० मानेन्द्र सिंह मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 11.06.2022**

**टाप-10 / हिस्ट्रीशीटर / वांछित / वारण्टी अभियुक्त अवैध तमन्चे के साथ गिरफतारः—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफतारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर व टाप-10 के अपराधी जो ग्राम तिर्मनोरमा में मारपीट कर जमीन कब्जा करने के जुर्म में वांछित चल रहा था, को 01 अदद तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ ग्राम तिर्मनोरमा जाने वाली नहर पुलिया के पास से गिरफतार कर सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जेल रवाना किया गया।

**गिरफतार अभियुक्त—**

01. अमर सिंह पुत्र स्व0 माता प्रसाद नि0 तिर्मनोरमा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0-157 / 22, धारा 327,323,504,506 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-158 / 22, धारा 3 / 25 आम्स ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**बरामदगीः—**

01. 01 अदद अवैध तमन्चा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास**

01. मु0अ0सं0 50 / 98 धारा 379 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 175 / 2000 धारा 147 / 457 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0 74 / 2002 धारा 452 / 325 / 504 / 506 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0 154 / 05 धारा 3 / 4 यू०पी० गुण्डा ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0 136 / 05 धारा 504 / 506 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0 82 / 07 धारा 110 जी० सीआरपीसी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
07. मु0अ0सं0 108 / 07 धारा 3 / 4 गुण्डा ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
08. मु0अ0सं0 06 / 2008 धारा 110 जी० थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
09. मु0अ0सं0 252 / 09 धारा 3 यू०पी० गुण्डा ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
10. मु0अ0सं0 176 / 10 धारा 147 / 148 / 323 / 504 / 506 / 324 / 308 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
11. मु0अ0सं0 61 / 12 धारा 110 जी० सी०आर०पी० थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
12. मु0अ0सं0 145 / 12 धारा 352 / 504 / 506 / 427 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
13. मु0अ0सं0 283 / 15 धारा 147 / 148 / 149 / 307 / 323 / 504 / 506 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
14. मु0अ0सं0 76 / 15 धारा 323 / 504 / 506 / 332 भादवि व 3(1)10 एस०सी०एस०टी० ऐक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
15. मु0अ0सं0 35 / 16 धारा 3 / 4 गुण्डा अधि० थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

16. मु0अ0सं0 193 / 16 धारा 504 / 336 / 307 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
17. मु0अ0सं0 238 / 17 धारा 147 / 148 / 149 / 307 / 323 / 504 / 506 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
18. मु0अ0सं0 121 / 18 धारा 147 / 323 / 504 / 506 भादवि 3(1) द 3(1)ध एस0सी0एस0टी0 एकट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
19. मु0अ0सं0 227 / 18 धारा 504 / 506 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
20. मु0अ0सं0 180 / 19 धारा 323 / 504 / 506 / 307 / 392 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
21. मु0अ0सं0 356 / 20 धारा 307 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
22. मु0अ0सं0 336 / 21 धारा 147 / 149 / 427 / 323 / 504 / 506 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
23. मु0अ0सं0 157 / 22 धारा 327 / 323 / 504 / 506 भा0द0वि0 थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा
24. मु0अ0सं0 158 / 22 धारा 3 / 25 आम्स एकट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा

### **गिरफतारकर्ता टीम—**

थानाध्यक्ष इटियाथोक करुणाकर पाण्डेय मय टीम ।

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर द्वारा चलाए गए 07 दिवसीय ट्रिवटर पोल वोटिंग / फीडबैक में जनपद गोण्डा की कार्यशैली में पिछले महिनों से हुई दोगुने की बढ़ोत्तरी:-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर द्वारा पब्लिक अप्रूवल रेटिंग दिनांक 11.05.2022 से दिनांक 17.05.2022 तक चलाए गए 07 दिवसीय ट्रिवटर पोल वोटिंग / फीडबैक (जनसुनवाई, आईजीआरएस, ट्वीट पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण, एफआईआर पंजीकरण से संबंध में जनपद गोण्डा की वोटिंग कराई गई थी जिसमे माह मई में 67.86 अतिउत्तम वोटिंग / फीडबैक प्राप्त हुआ जो पिछले महिनों की हुई ट्रिवटर पोल रेटिंग से अतिउत्तम श्रेणी में लगभग दुगनी की बढ़ोत्तरी हुई है। जिसमें जनपद वासियों ने डायरेक्ट पोल के माध्यम से अधिक से अधिक वोटिंग कर जनपदीय पुलिस की कार्यशैली की सराहना की गयी।

जनपदीय लोगों द्वारा की गई वोटिंग / फीडबैक के लिए गोण्डा पुलिस की ओर से सभी जनपद वासियों को धन्यवाद, गोण्डा पुलिस समस्त प्रकरणों में त्वरित व निष्पक्ष कार्यवाही व सुरक्षा हेतु आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। जनपद गोण्डा को प्राप्त किए गए डायरेक्ट पोल वोटिंग / फीडबैक का माह मार्च व अप्रैल व मई का तुलनात्मक विवरण निम्नवत है।

**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 11.06.2022**

**दहेज हत्या के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुकम मे थाना को० नगर पुलिस ने दहेज हत्या के 02 वांछित अभियुक्तों—संदीप उर्फ चन्दन गुप्ता, 02. चेतन गुप्ता उर्फ अजय को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने अपने परिजनों के साथ मिलकर दिनांक 10.06.2022 को वादी अशोक कुमार गुप्ता पुत्र स्व० लक्ष्मी नरायण गुप्ता नि० सदर बाजार थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा की लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए फांसी लगाकर जान से मार दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को० नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण—**

01. संदीप उर्फ चन्दन गुप्ता पुत्र अम्बिका प्रसाद गुप्ता नि० साहबगंज बलवन्त पुरवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
02. चेतन गुप्ता उर्फ अजय पुत्र अम्बिका प्रसाद गुप्ता नि० साहबगंज बलवन्त पुरवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०-३८३/२२, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी०पी० ऐक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता—**

01. उ०नि० रणजीत यादव मय टीम।